30

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2003/अग्रहायण 19, 1925
No. 593] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2003/AGRAHAYANA 19, 1925

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2003

**सा.का.नि. 937(अ).—** केंद्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 की (1955 का 57) धारा 18 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्रों का जारी किया जाना) नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) अभिप्रेत है ;

(ख) "जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार" से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन नियुक्त जन्म और मृत्यु का मुख्य रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(ग) "नागरिक" से, भारत के संविधान और अधिनियम के उपबंधों के निबंधनानुसार भारत का नागरिक अभिप्रेत है ;

(घ) "नागरिक रजिस्ट्रीकरण निदेशक" से जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी राज्य में या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसा जनगणना निदेशक अभिप्रेत है, जो, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नागरिक रजिस्ट्रीकरण निदेशक के रूप में भी कृत्य करेगा ;

(ङ) "भारतीय नागरिकों के जिला रजिस्टर" से जिले में सामान्य रूप से निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के ब्यौरों वाला रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(च) "नागरिक रजिस्ट्रीकरण के जिला रजिस्ट्रार" से प्रत्येक राजस्व जिले का किसी भी नाम से ज्ञात ऐसा जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जो नागरिक रजिस्ट्रीकरण के जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा ;

(छ) "भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर" से किसी ग्राम या ग्रामीण क्षेत्र या नगर या वार्ड या किसी नगर के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र (नागरिक रजिस्ट्रीकरण महा रजिस्ट्रार द्वारा सीमांकित) या शहरी क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के ब्यौरों वाला रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ज) "नागरिक रजिस्ट्रीकरण के स्थानीय रजिस्ट्रार" से निम्नतम भौगोलिक अधिकारिता अर्थात् किसी ग्राम या ग्रामीण क्षेत्र या नगर या वार्ड या किसी नगर के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र (नागरिक रजिस्ट्रीकरण महा रजिस्ट्रार द्वारा सीमांकित) या शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा कोई स्थानीय अधिकारी या राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है जो भारतीय नागरिकों का स्थानीय रजिस्टर तैयार करने के प्रयोजन के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार के रूप में कृत्य करेगा ;

(झ) "राष्ट्रीय पहचान-पत्र" से नियम 13 के अधीन जारी किया गया पहचान-पत्र अभिप्रेत है ;

(ञ) "राष्ट्रीय पहचान संख्यांक" से भारतीय नागरिक रजिस्ट्रीकरण महा रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को आबंटित किया गया विशिष्ट पहचान संख्यांक अभिप्रेत है ;

(ट) "भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर" से भारत में और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के ब्यौरों वाला रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ठ) "जनसंख्या रजिस्टर" से किसी ग्राम या ग्रामीण क्षेत्र या नगर या वार्ड या किसी नगर के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र (नागरिक रजिस्ट्रीकरण महा रजिस्ट्रार द्वारा सीमांकित) या शहरी क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे वाला रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ड) "नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार" से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन नियुक्त भारत का महारजिस्ट्रार अभिप्रेत है, जो नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महानिदेशक, भारत के रूप में कृत्य करेगा ;

(ढ) "भारतीय नागरिकों के राज्य रजिस्टर" से राज्य में सामान्य रूप से निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के ब्यौरों वाला रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ण) "नागरिक रजिस्ट्रीकरण के उपजिला या तालुक रजिस्टर" से, यथास्थिति, प्रत्येक उपजिले या तालुक का ऐसा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो नागरिक रजिस्ट्रीकरण के उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा ;

(त) "भारतीय नागरिकों के उपजिला रजिस्टर" से उपजिले के किसी तालुक या वह किसी भी नाम से ज्ञात हो सामान्य रूप से निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के ब्यौरों वाला रजिस्टर अभिप्रेत है ;

3. भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर --

(1) नागरिक रजिस्ट्रीकरण का महारजिस्ट्रार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर स्थापित करेगा और उसे रखेगा ।

(2) भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को भारतीय नागरिकों के राज्य रजिस्टर, भारतीय नागरिकों के जिला रजिस्टर, भारतीय नागरिकों के उपजिला रजिस्टर और भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर वाले उपभागों में विभाजित किया जाएगा और उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार के परामर्श से आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(3) भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रत्येक नागरिक की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(i) नाम ;

(ii) पिता का नाम ;

(iii) माता का नाम ;

(iv) लिंग ;

(v) जन्म की तारीख ;

(vi) जन्म का स्थान ;

(vii) निवास स्थान का पता (वर्तमान और स्थायी) ;

(viii) वैवाहिक प्रास्थिति - यदि कभी विवाहित रहा हो तो पति/पत्नी का नाम ;

(ix) दृश्यमान पहचान चिन्ह ;

(x) नागरिक के रजिस्ट्रीकरण की तारीख ;

(xi) रजिस्ट्रीकरण का क्रम संख्यांक ; और

(xii) राष्ट्रीय पहचान संख्यांक ;

(4) केंद्रीय सरकार इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा ऐसी तारीख विनिश्चित कर सकेगी, जिस तक ऐसे सभी व्यक्तियों के संबंध में, जो स्थानीय रजिस्ट्रार की अधिकारिता के भीतर सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, जानकारी एकत्रित करके जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाएगा ।

(5) भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में जनसंख्या रजिस्टर से किए गए सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, व्यक्तियों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

4. **भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का तैयार किया जाना –**

(1) केंद्रीय सरकार भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक कुटुम्ब और व्यष्टि से संबंधित विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के संग्रहण के लिए, जिसके अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रास्थिति भी है, देशभर में घर-घर गणना करायगी ।

(2) नागरिक रजिस्ट्रीकरण का महारजिस्ट्रार गणना की अवधि और समयकाल को राजपत्र में अधिसूचित करेगा ।

(3) भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर को तैयार करने और उसमें सम्मिलित किए जाने के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या रजिस्टर में प्रत्येक कुटुम्ब और व्यष्टि के बारे में संगृहीत विशिष्टियों को स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित और संवीक्षित किया जाएगा, जिसकी सहायता नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा की जा सकेगी ।

(4) सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, ऐसे व्यष्टिकों की विशिष्टियां, जिनकी नागरिकता संदेहप्रद है, स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा और जांच के लिए जनसंख्या रजिस्टर में समुचित टिप्पणी के साथ दर्ज की जाएंगी और संदेहप्रद नागरिकता की दशा में उस व्यष्टि या कुटुम्ब को सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के ठीक पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में सूचित किया जाएगा ।

(5) (क) उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या कुटुम्ब को, भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में उनकी विशिष्टियां सम्मिलित करने या सम्मिलित न करने के बारे में अंतिम विनिश्चय लिए जाने से पूर्व नागरिकता रजिस्ट्रीकरण के उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(ख) उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार प्रविष्टि किए जाने के 90 दिन की अवधि के भीतर या ऐसे युक्तियुक्त विस्तारित समय के भीतर अपने निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा, जिसके लिए वह कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

(6) (क) भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर का प्रारुप उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार द्वारा किन्ही आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिए या किसी नाम को सम्मिलित करने के लिए या एकत्रित की गई और भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतिम रूप से दर्ज किए जाने के लिए प्रस्तावित कुटुम्ब या व्यष्टि की विशिष्टियों में संशोधन करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा ।

(ख) भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में किसी विशिष्ट प्रविष्टि के संबंध में या किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या संशोधनों को, यदि कोई हो, करने के लिए कोई आक्षेप, भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर के प्रारुप के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप की प्रकृति और उसके लिए कारण बताते हुए ऐसे रूप में किया जाएगा जो नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (5) के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार ऐसे आक्षेपों पर विचार करेगा और नब्बे दिन की अवधि के भीतर उनका संक्षिप्त रूप से निपटान करेगा और तत्पश्चात्, इस प्रकार तैयार किए गए भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर को नागरिक रजिस्ट्रीकरण के जिला रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा, जो भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में की प्रविष्टियों को भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतरित कराएगा ।

(7) (क) उपनियम (5) या उपनियम (6) के अधीन उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर नागरिक रजिस्ट्रीकरण के जिला रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा ।

(ख) नागरिक रजिस्ट्रीकरण का जिला रजिस्ट्रार इस प्रकार व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् अपील की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अंतिम विनिश्चय करेगा ।

(ग) अपील अनुज्ञात किए जाने की दशा में विशिष्टियां भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी ।

5. **नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार की सहायता के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के पदधारी** – केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या उनके उपक्रमों का प्रत्येक पदधारी, प्रत्येक कुटुम्ब और प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में आधार आंकड़े तैयार करने और इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहायता करेगा ।

6. **भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का आरंभ किया जाना** – (1) नागरिक रजिस्ट्रीकरण का महारजिस्ट्रार आदेश द्वारा वह तारीख अधिसूचित करेगा जिसको भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर देश भर में आरंभ किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए आदेश में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की स्थापना के लिए नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि को आरंभ करने के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।

(3) प्रत्येक व्यष्टिक को उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई आरंभ की अवधि के दौरान नागरिक रजिस्ट्रीकरण के स्थानीय रजिस्ट्रार के पास स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराना होगा ।

7. **कुटुम्ब के मुखिया और व्यष्टिक का सूचनादाता के रूप में कार्य करना** --

(1) भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियम (4) के अधीन भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने के लिए उत्तरदायी पदधारियों की सहायता करे और आरंभ किए जाने की अवधि के दौरान भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएं ।

(2) प्रत्येक कुटुम्ब के मुखिया का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उस कुटुम्ब के, जिसका वह मुखिया है, सदस्यों के नाम और संख्या के सही ब्यौरे और नियम 3 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां दे ।

(3) प्रत्येक नागरिक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्ट्रार के पास एक बार रजिस्टरों और उस प्राधिकारी को सही व्यष्टिक विशिष्टियां उपलब्ध कराएं ।

(4) ऐसे अवयस्क, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है या जो निःशक्त है, जैसे आश्रितों की दशा में इस नियम के अधीन विशिष्टियां रिपोर्ट करने का उत्तरदायित्व कुटुम्ब के मुखिया का होगा :

*परंतु जहां तक अनाथालयों, वृद्ध आश्रमों, पागलखानों जैसी संस्थाओं के निवासियों का संबंध है,* **उनके संबंध में अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संस्था के प्रमुख का होगा ।**

8. **जानकारी अभिप्राप्त करने की नागरिक रजिस्ट्रीकरण के जिला रजिस्ट्रार, उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार या स्थानीय रजिस्ट्रार की शक्ति** – नागरिक रजिस्ट्रीकरण के जिला रजिस्ट्रार, उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार या स्थानीय रजिस्ट्रार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की नागरिकता प्रास्थिति के अवधारण के संबंध में उसकी जानकारी के भीतर कोई सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जानकारी देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति उस अध्यपेक्षा का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

9. **भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के बारे में प्रक्रिया** –

नागरिक रजिस्ट्रीकरण का महारजिस्ट्रार आदेश द्वारा, भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने और उस रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए प्रस्तावित कुटुम्ब और व्यष्टिक विशिष्टियों के संबंध में दावों और आक्षेपों का निपटारा करने में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

10. **भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर से नाम और विशिष्टियों का हटाया जाना** –

(1) भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर से किसी नागरिक के नाम और विशिष्टियों को नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किए अधिकारी द्वारा निम्नलिखित किसी के होने पर आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा, –

(i) व्यक्ति की मृत्यु ; या

(ii) व्यक्ति के अधिनियम की धारा 8 के अधीन भारतीय नागरिक न रहने पर ; या

(iii) अधिनियम की धारा 9 के अधीन भारतीय नागरिकता के प्रतिसहंरण पर ;

(iv) व्यष्टि या कुटुम्ब द्वारा दी गई विशिष्टियों का बाद में गलत पाया जाना जिससे बाद में व्यक्ति की नागरिकता प्रास्थिति प्रभावित होती है ।

(2) संबंधित भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह उपनियम (1) के खंड (ii) के अधीन अपनी भारतीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में तीस दिन की अवधि के भीतर नागरिक रजिस्ट्रीकरण के जिला रजिस्ट्रार को सूचित करे ।

(3) उपनियम (1) के अधीन किसी आदेश की दशा में, संबंधित व्यक्ति को या उसकी मृत्यु की दशा में उसके निकटतम संबंधी को भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर से किसी प्रविष्टि को हटाए जाने के बारे में सूचना दी जाएगी :

परंतु प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन की अवधि के भीतर, उस आदेश के विरुद्ध प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन अपील का निपटारा, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने और अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात् किया जाएगा ।

11. ***भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखा जाना और उसे अद्यतन करना*** – (1) नागरिक रजिस्ट्रीकरण का महारजिस्ट्रार, भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य ऐसे रूप में रखवाएगा, जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) और अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न रजिस्टरों से उद्धरणों के आधार पर लगातार अद्यतन होता रहेगा ।

(2) प्रत्येक कुटुम्ब के मुखिया का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि कुटुम्ब में होने वाले के जन्म और मृत्यु की किसी घटना को भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में सम्यक् रूप में प्रविष्ट कर दिया गया है या उससे हटा दिया गया है ।

(3) जन्म और मृत्यु का मुख्य रजिस्ट्रार और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में लगे हुए सभी अन्य पदधारी, उपनियम (1) की अपेक्षानुसार भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने में नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार की सहायता करेंगे ।

12. भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्टियों का उपांतरण -- उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार, संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर और सम्यक् सत्यापन के पश्चात् भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियों की बाबत किसी प्रविष्टि का उपांतरण किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) नाम का परिवर्तन ; या

(ख) सुसंगत विधियों के अधीन दत्तकग्रहण द्वारा उसकी प्रास्थिति बदल जाने की दशा में आवेदक के माता-पिता का नाम ; या

(ग) निवास-स्थान का परिवर्तन ; या

(घ) वैवाहिक-स्थिति का परिवर्तन ; या

(ङ) लिंग परिवर्तन ।

13. राष्ट्रीय पहचान-पत्रों का जारी किया जाना --

नागरिक रजिस्ट्रीकरण का महारजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे प्रत्येक नागरिक को, जिसकी प्रविष्टियां नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्टि कर दी गई हैं, राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगा ।

14. राष्ट्रीय पहचान-पत्रों का सरकारी संपत्ति होना और उनको उचित रूप से रखने का नागरिकों का उत्तरदायित्व --

(1) राष्ट्रीय पहचान-पत्र केंद्रीय सरकार की संपत्ति होगी ।

(2) कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय पहचान-पत्र को, जानबूझकर नष्ट नहीं करेगा, उनमें परिवर्तन नहीं करेगा, उनका अंतरण नहीं करेगा या विधिपूर्ण प्रयोजनों के सिवाय उनका किसी रूप में प्रयोग नहीं करेगा ।

(3) नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने पर, राष्ट्रीय पहचान-पत्र, यथास्थिति, संबंधित व्यक्ति या उसके निकटतम संबंधी द्वारा नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय पहचान-पत्र के खो जाने की दशा में, यथास्थिति, नागरिक या उसके निकटतम संबंधी का यह कर्तव्य होगा कि वह निकटतम पुलिस स्टेशन और संबंधित प्राधिकारी को तुरंत मामले की रिपोर्ट करे ।

15. राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी और अधिकारियों का पदाभिधान --

(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से ही, भारत का महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण महारजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित होगा जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उस रूप में भी कृत्य करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार,

(क) नागरिक रजिस्ट्रीकरण के एक या अधिक अपर या संयुक्त या उप महारजिस्ट्रार और उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद को, जितने अपेक्षित हों ; और

(ख) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए नागरिक रजिस्ट्रीकरण का एक निदेशक और एक या अधिक संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक को, अपेक्षित सहयोगी कर्मचारिवृंद के साथ, इन नियमों के अधीन कृत्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए, -

पदाभिहित कर सकेगी ।

(3). राज्य सरकार राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का एक राज्य समन्वयक अधिसूचित करेगी, जो राज्य सरकार में सचिव या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा ।

16. नागरिक रजिस्ट्रीकरण के जिला, उपजिला या तालुक और स्थानीय रजिस्ट्रारों पर नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार का पर्यवेक्षण और नियंत्रण --

(1) राज्य सरकारें प्रत्येक निम्नतम भौगोलिक अधिकारिता, अर्थात् किसी ग्राम या ग्रामीण क्षेत्र या नगर या वार्ड या किसी नगर के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र (नागरिक रजिस्ट्रीकरण महा रजिस्ट्रार द्वारा सीमांकित) या शहरी क्षेत्र के लिए नागरिक रजिस्ट्रीकरण का स्थानीय रजिस्ट्रार के रूप में कोई अधिकारी या व्यक्ति को पदाभिहित करेगा, जो भारतीय नागरिकों का स्थानीय रजिस्टर तैयार करने के प्रयोजन के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार के रूप में कृत्य करेगा ।

(2) नागरिक रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक स्थानीय रजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार के संपूर्ण अधीक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

(3) नागरिक रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के जिला रजिस्ट्रार के संपूर्ण अधीक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

(4) इन नियमों के उपबंधों को लागू करने और कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नागरिक रजिस्ट्रीकरण का जिला रजिस्ट्रार, उपजिला या तालुक रजिस्ट्रार और स्थानीय रजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहेंगे ।

(5) नागरिक रजिस्ट्रीकरण महारजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जांच के लिए किसी भी समय कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा और भारतीय नागरिकों के जनसंख्या रजिस्टर या स्थानीय रजिस्टर में किसी व्यष्टि या कुटुंब की विशिष्टियों को सम्मिलित करने या उससे अपवर्जन करने के संबंध में नागरिक रजिस्ट्रीकरण जिला रजिस्ट्रार, उप जिला या तालुक रजिस्ट्रार और स्थानीय रजिस्ट्रार को निदेश जारी कर सकेगा ।

17 कतिपय मामलों में शास्तिक परिणाम –

नियम 5, 7, 8, 10, 11 और 14 के उपबंधो में से किसी का अतिक्रमण ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

18. व्यष्टिकों की विशिष्टियां के संग्रहण, सत्यापन, राष्ट्रीय पहचान-पत्रों के जारी किए जाने, आदि के लिए दिशानिर्देश -

नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार समय-समय पर केंद्रीय सरकार के परामर्श से, राज्य सरकारों को ऐसे दिशानिर्देश जारी कर सकेगा जो इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

[फा. सं. 26011/2/2003–आईसी. I]

प्रवीण श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम संख्यांक का.नि.आ. 1574 तारीख 7-7-1956 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यांक द्वारा संशोधित किए गए :

1. 2/13/57-आईसी तारीख 16-5-58
2. 10/3/58-आईसी तारीख 19-11-58
3. 2/11/58-आईसी तारीख 31-1-59
4. 2/1/60-आईसी तारीख 16-9-60
5. 1/1/62-आईसी तारीख 20-12-62
6. 1/1/64-आईसी तारीख 3-3-65
7. 24/161/(ii)/64-आईसी तारीख 5-5-65
8. 2/1/66-आईसी तारीख 29-5-67
9. 2/1/68-आईसी तारीख 12-11-68
10. 2/1/69-आईसी तारीख 14-5-69
11. 2/7/69-आईसी तारीख 19-12-69
12. 24/75/69-आईसी तारीख 28-8-70
13. 26011/1/71-आईसी तारीख 9-8-71
14. 26011/12(i)/71-आईसी तारीख 15-2-72
15. सा.का.नि. 383(अ) तारीख 5-6-81
16. सा.का.नि. 25(अ) तारीख 15-1-86
17. सा.का.नि. 567(अ) तारीख 1-4-86
18. सा.का.नि. 18(अ) तारीख 7-1-87
19. सा.का.नि. 392(अ) तारीख 13-4-87
20. सा.का.नि. 141(अ) तारीख 19-3-98 और
21. सा.का.नि. 344(अ) तारीख 20-4-2000.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2003

G.S.R. 937(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);

(b) "Chief Registrar of Births and Deaths" means the Chief Registrar of Births and Deaths appointed under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969);

(c) "Citizen" means the Citizen of India in terms of the Constitution of India and provisions of the Act;

(d) "Director of Citizen Registration" means the Director of Census in a State or Union territory appointed by the Central Government under the Census Act, 1948 (37 of 1948), who shall also function as the Director of Citizen Registration in that State, or as the case may be, in the Union territory;

(e) "District Register of Indian Citizens" means the register containing details of Indian Citizens usually residing in the district;

(f) "District Registrar of Citizen Registration" means the District Magistrate of every revenue district, by whatever name known, who shall act as the District Registrar of Citizen Registration;

3677GI/03/–2

(g) "Local Register of Indian Citizens" means the register containing details of Indian Citizens usually residing in a village or rural area or town or ward or demarcated area (demarcated by the Registrar General of Citizen Registration) within a ward in a town or urban area;

(h) "Local Registrar of Citizen Registration" means a local officer, or a revenue officer, appointed by the State Government at the lowest geographical jurisdiction, that is to say, of a village or rural area or town, or ward or demarcated area (demarcated by the Registrar General of Citizen Registration) within a ward in a town or urban area, who shall function as Local Registrar for the purpose of preparation of Local Register of Indian Citizens;

(i) "National Identity Card" means the identity card issued under rule 13 ;

(j) "National Identity Number" means a unique identity number allotted to every Indian Citizen by the Registrar General of Citizen Registration, India;

(k) "National Register of Indian Citizens" means the register containing details of Indian Citizens living in India and outside India;

(l) "Population Register" means the register containing details of persons usually residing in a village or rural area or town or ward or demarcated area (demarcated by the Registrar General of Citizen Registration) within a ward in a town or urban area;

(m) "Registrar General of Citizen Registration" means the Registrar General, India, appointed under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), who shall also function as the Registrar General of Citizen Registration, India;

(n) "State Register of Indian Citizens" means the register containing details of Indian Citizens usually residing in the State;

(o) "Sub-district or Taluk Registrar of Citizen Registration" means the Sub-district Magistrate or Taluk Executive Magistrate of every sub-district or taluk, by whatever name known, as the case may be, who shall function as Sub-district or Taluk Registrar of Citizen Registration;

(p) "Sub-district Register of Indian Citizens" means the register containing details of Indian Citizens usually residing in a taluk, or by whatever name known, of the sub-district.

3. <u>National Register of Indian Citizens</u>. – (1) The Registrar General of Citizen Registration shall establish and maintain the National Register of Indian Citizens.

(2) The National Register of Indian Citizens shall be divided into sub-parts consisting of the State Register of Indian Citizens, the District Register of Indian Citizens, the Sub-district Register of Indian Citizens and the Local Register of Indian Citizens and shall contain such details as the Central Government may, by order, in consultation with the Registrar General of Citizen Registration, specify.

(3) The National Register of Indian Citizens shall contain the following particulars in respect of every Citizen, namely :-

(i) Name;
(ii) Father's name;
(iii) Mother's name;
(iv) Sex;
(v) Date of birth;
(vi) Place of birth;
(vii) Residential address (*present and permanent*);
(viii) Marital status – if ever married, name of the spouse;
(ix) Visible identification mark;
(x) Date of registration of Citizen;
(xi) Serial number of registration; and
(xii) National Identity Number.

(4) The Central Government may, by an order issued in this regard, decide a date by which the Population Register shall be prepared by collecting information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar.

(5) The Local Register of Indian citizens shall contain details of persons after due verification made from the Population Register.

4. Preparation of the National Register of Indian Citizens. – (1) The Central Government shall, for the purpose of National Register of Indian Citizens, cause to carry throughout the country a house-to-house enumeration for collection of specified particulars relating to each family and individual, residing in a local area including the Citizenship status.

(2) The Registrar General of Citizen Registration shall notify the period and duration of the enumeration in the Official Gazette.

(3) For the purposes of preparation and inclusion in the Local Register of Indian Citizens, the particulars collected of every family and individual in the Population Register shall be verified and scrutinized by the Local Registrar, who may be assisted by one or more persons as specified by the Registrar General of Citizen Registration.

(4) During the verification process, particulars of such individuals, whose Citizenship is doubtful, shall be entered by the Local Registrar with appropriate remark in the Population Register for further enquiry and in case of doubtful Citizenship, the individual or the family shall be informed in a specified proforma immediately after the verification process is over.

(5) (a) Every person or family specified in sub-rule (4), shall be given an opportunity of being heard by the Sub-district or Taluk Registrar of Citizen Registration, before a final decision is taken to include or to exclude their particulars in the National Register of Indian Citizens.

(b) The Sub-district or Taluk Registrar shall finalize his findings within a period of ninety days of the entry being made, or within such reasonable extended time for which he shall record the reasons in writing.

(6) (a) The draft of the Local Register of Indian Citizens shall be published by the Sub-district or Taluk Registrar, for inviting any objections or for inclusion of any name or corrections for the family or individual particulars collected and proposed to be finally entered in the National Register of Indian Citizens.

(b) Any objection against a particular entry or for inclusion of a name, or corrections if any, in the Local Register of Indian Citizens may be made within a period of thirty days from the date of publication of the draft of the Local Register of Indian Citizens, spelling out the nature and reasons for the objection in such form as may be specified by the Registrar General of Citizen Registration.

(c) Subject to the provisions contained in clause (a) of sub-rule (5), the Sub-district or Taluk Registrar shall consider such objections and summarily dispose off the same within a period of ninety days, and thereafter submit the Local Register of Indian Citizens so prepared to the District Registrar of Citizen Registration who shall cause the entries in the Local Register of Indian Citizens, to be transferred to the National Register of Indian Citizens.

(7) (a) Any person aggrieved by the order of the Sub-district or Taluk Registrar under sub-rule (5) or sub-rule (6), may prefer an appeal within thirty days from the date of such order, to the District Registrar of Citizen Registration.

(b) The District Registrar of Citizen Registration shall take a final decision, after giving an opportunity of being heard to the person so aggrieved, within a period of ninety days from the date of appeal.

(c) In case the appeal is allowed, the particulars shall be entered in the National Register of Indian Citizens.

5. <u>Officials of the Central Government, State Governments and local bodies to assist the Registrar General of Citizen Registration.</u> – Every official of the Central Government, State Government, local bodies or their undertakings shall assist the Registrar General of Citizen Registration or any person authorized by him in this

behalf, in preparation of the database relating to each family and every person, and in implementing the provisions of these rules.

6. Initialization of National Register of Indian Citizens. – (1) The Registrar General of Citizen Registration shall, by order, notify the date on which the National Register of Indian Citizens shall be initialized throughout the country.

(2) The order made under sub-rule (1) may provide for the initialization period specified by the Registrar General of Citizen Registration for establishment of the National Register of Indian Citizens.

(3) Every individual must get himself registered with the Local Registrar of Citizen Registration during the period of initialization as specified under sub-rule (2).

7. Head of family and individual to act as informant. – (1) It shall be compulsory for every Citizen of India to assist the officials responsible for preparation of the National Register of Indian Citizens under rule 4 and get himself registered in the Local Register of Indian Citizens during the period of initialization.

(2) It shall be the responsibility of the head of every family, during the period specified for preparation of the Population Register, to give the correct details of name and number of members and other particulars, as specified in sub-rule (3) of rule 3, of the family of which he is the head.

(3) It shall be the responsibility of every Citizen to register once with the Local Registrar of Citizen Registration and to provide correct individual particulars to that authority.

(4) In the case of dependents, such as minor who has not attained the age of eighteen years, or who is disabled, the responsibility of reporting the particulars under this rule shall be of the head of the family:

Provided that in so far as inmates of institutions, such as orphanages, old age homes, mental asylums are concerned, the responsibility for providing the requisite details shall lie with the head of the Institution.

8. Power of District Registrar, Sub-district or Taluk Registrar or Local Registrar of Citizen Registration to obtain information. – The District Registrar, Sub-district or Taluk Registrar or the Local Registrar of Citizen Registration may, by order, require any person to furnish any information within his knowledge in connection with the determination of Citizenship status of any person and the person required to furnish information shall be bound to comply with such requisition.

9. Procedure as to making of entries in National Register of Indian Citizens. – The Registrar General of Citizen Registration may, by order, specify the procedure to be followed in preparation of the National Register of Indian Citizens and disposal of claims and objections with regard to family and individual particulars proposed to be entered in that Register.

10. Deletion of name and particulars from National Register of Indian Citizens. – (1) The name and particulars of a Citizen may be removed from the National Register of Indian Citizens by an order of the Registrar General of Citizen Registration or any officer authorized by him in this behalf in the event of –

(i) death of the person; or
(ii) the person ceasing to be an Indian Citizen under section 8 of the Act; or
(iii) revocation of Indian Citizenship under section 9 of the Act; or
(iv) the particulars provided by the individual or the family found to be incorrect subsequently, thereby affecting the Citizenship status of the person.

(2) It shall be the duty of the Indian Citizen concerned to inform the District Registrar of Citizen Registration, within a period of thirty days, about the cessation of his Indian Citizenship under clause (ii) of sub-rule (1);

(3) In the event of an order under sub-rule (1), the person concerned, or in the event of his death his nearest relative, shall be duly informed about the deletion of any entry from the National Register of Indian Citizens.

Provided that any person aggrieved by the order of an authorized officer may prefer an appeal against such order to the Authority within a period of thirty days of such order.

(4) The appeal under sub-rule (3) shall be disposed off, after giving to the appellant an opportunity of being heard, and produce any documentary or oral evidence in support of his claim.

11. Maintenance and updating of National Register of Indian Citizens. – The Registrar General of Citizen Registration shall cause to maintain the National Register of Indian Citizens in electronic or some other form which shall entail its continuous updating on the basis of extracts from various Registers specified under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969) and the Act.

(2) It shall be the responsibility of the head of each and every family to ensure that any event of birth or death occurring in the family has been duly entered in, or deleted from, the Local Register of Indian Citizens.

(3) The Chief Registrar of Births and Deaths and all other officials engaged in the registration of births and deaths shall assist the Registrar General of Citizen Registration in updating the National Register of Indian Citizens as required under sub-rule (1).

12. Modification of entries in National Register of Indian Citizens. – The Sub-district or Taluk Registrar may, on an application made by the concerned person and after due verification, authorize the modification of any entry in respect of the following particulars in National Register of Indian Citizens, namely:-

(a) change of name; or

(b) the name of the applicant's parent in case his status has been altered by adoption under the relevant laws; or

(c) change of residential address; or

(d) change of marital status; or

(e) change of sex.

13. Issue of National Identity Cards. – The Registrar General of Citizen Registration, or any officer authorized by him in this behalf, shall issue the National Identity Card to every Citizen whose particulars are entered in the National Register of Indian Citizens under sub-rule (3) of rule 3.

14. National Identity Cards to be Government property and responsibility of Citizens to keep them properly. – (1) The National Identity Card shall be the property of the Central Government.

(2) No person shall willfully destroy, alter, transfer or use in any form the National Identity Card, except for the lawful purposes.

(3) On the happening of any of the events specified under sub-rule (1) of rule 10, the National Identity Card shall be surrendered, by the Citizen concerned or his nearest relative, as the case may be, to the Registrar General of Citizen Registration or any other authorized officer acting on his behalf.

(4) In the event of a loss of the National Identity Card, it shall be the duty of the Citizen or his nearest relative, as the case may be, to report the matter immediately to the nearest police station and the concerned Authority.

15. Designation of National Registration Authority and officers. – (1)On and from the date of commencement of these rules, the Registrar General, India shall be designated as the Registrar General of Citizen Registration, India who shall also function as such for the purposes of these rules.

(2) The Central Government may designate –

(a) one or more officers as Additional or Joint or Deputy Registrar General of Citizen Registration and such other officers and staff as may be required; and
(b) an officer as a Director, and one or more officers as Joint Director, Deputy Director, Assistant Director of Citizen Registration for each of the States and the Union territories along with requisite support

staff, to assist the Registrar General of Citizen Registration in discharging the functions and responsibilities under these rules,

(3) The State Government shall notify a State Co-ordinator of National Registration not below the rank of a Secretary in the State Government or equivalent.

16. Supervision and Control of Registrar General of Citizen Registration over District, Sub-district or Taluk and Local Registrars of Citizen Registration. – (1) The State Governments shall designate an officer or a person as Local Registrar of Citizen Registration for each lowest geographical jurisdiction, that is to say, of a village or rural area or town, or ward or demarcated area (demarcated by the Registrar General of Citizen Registration) within a ward in a town or urban area who shall function as Local Registrar for the purpose of preparation of Local Register of Indian Citizens.

(2) Every Local Registrar of Citizen Registration shall function under the overall supervision of the Sub-district or Taluk Registrar of Citizen Registration.

(3) Every Sub-district or Taluk Registrar of Citizen Registration shall function under the overall supervision of the District Registrar of Citizen Registration.

(4) For the purposes of implementing and carrying out the provisions of these rules, the District Registrar, the Sub-district or Taluk Registrar and the Local Registrar of Citizen Registration shall be under the supervision and control of the Registrar General of Citizen Registration.

(5) The Registrar General of Citizen Registration or any officer authorized by him at any time may call for any records for examination, and issue directions regarding inclusion or exclusion of any individual or family particulars from the Population Register or Local Register of Indian Citizens, to the District Registrar, the Sub-district or Taluk Registrar and the Local Registrar of Citizen Registration.

17. Penal consequences in certain cases. – Any violation of provisions of rules 5, 7, 8, 10, 11 and 14 shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

18. Guidelines for collection of particulars of individuals, verification, issue of National Identity Cards, etc. – The Registrar General of Citizen Registration may, in consultation with the Central Government, issue from time to time such guidelines to the State Governments as are considered necessary for implementation of these rules.

[F. No. 26011/2/2003-IC. I]

PRAVIN SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number SRO 1574, dated 7-7-1956 and subsequently amended vide number :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 2/13/57-IC | dated 16-5-58 |
| 2. | 10/3/58-IC | dated 19-11-58 |
| 3. | 2/11/58-IC | dated 31-1-59 |
| 4. | 2/1/60-IC | dated 16-9-60 |
| 5. | 1/1/62-IC | dated 20-12-62 |
| 6. | 1/1/64-IC | dated 3-3-65 |
| 7 | 24/161(ii)/64-IC | dated 5-5-65 |
| 8. | 2/1/66-IC | dated 29-5-67 |
| 9 | 2/1/68-IC | dated 12-11-68 |
| 10 | 2/1/69-IC | dated 14-5-69 |
| 11 | 2/7/69-IC | dated 19-12-69 |
| 12. | 24/75/69-IC | dated 28-8-70 |
| 13 | 26011/1/71-IC | dated 9-8-71 |
| 14 | 26011/12/(i)/71-IC | dated 15-2-72 |
| 15 | GSR 383(E) | dated 5-6-81 |
| 16 | GSR 25(E) | dated 15-1-86 |
| 17 | GSR 567(E) | dated 1-4-86 |
| 18. | GSR 18(E) | dated 7-1-87 |
| 19 | GSR 392(E) | dated 13-4-87, and |
| 20 | GSR 141(E) | dated 19-3-98. |
| 21. | G.S.R. 344(E) | dated 20-4-2000. |

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.